

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
शुद्धि पत्र**

राँची, दिनांक 03 नवम्बर, 2015

संख्या-4/स्थापद0-02-02/2015 का. 9597 / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 9582 दिनांक 02.11.2015 को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

उक्त अधिसूचना में अंकित "विभागीय अधिसूचना संख्या- 9224 दिनांक 23.10.2015" के स्थान पर "विभागीय अधिसूचना संख्या- 9274 दिनांक 23.10.2015" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(एच0 के0 सुधांशु)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्थापद0-02-02/2015 का. 9597 / राँची, दिनांक- 03 नवम्बर, 2015
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्थापद0-02-02/2015 का. 9597 / राँची, दिनांक- 03 नवम्बर, 2015
प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।